



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2011 ई0

बैशाख 09, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 180/XXXVI(3)/2011/25(1)/2011

देहरादून, 29 अप्रैल, 2011

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2011” पर दिनांक 25 अप्रैल, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 15 वर्ष, 2011 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2011

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 15 वर्ष 2011}

उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि, 2001 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- धारा 4 का संशोधन** 2. उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2001) की धारा 4 में शब्द "छः सौ" के स्थान पर शब्द "दो सौ" रख दिये जायेंगे।
- निरसन और अपवाद** 3. (1) उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 01, वर्ष 2010) निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
राम सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of "The Uttarakhand Contingency Fund (Amendment) Act, 2011" (Adhiniyam Sankhya 15 of 2011).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 25, 2011.

No. 180/XXXVI(3)/2011/25(1)/2011
Dated Dehradun, April 29, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2011 [Uttarakhand Act No. 15 of 2011]

AN

ACT

to further amend the Uttarakhand Contingency Fund Act, 2001

Enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the 62nd year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Contingency Fund (Amendment) Act, 2011
- (2) It shall come into force at once.

Amendment of section 4

2. In section 4 of the Uttarakhand Contingency Fund Act, 2001 (Act No. 02 of 2001), the word "Six Hundred" shall be substituted by the word "Two Hundred"

Repeal and Savings

3. (1) The Uttarakhand Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 01 of 2010) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act were in force at all material times.

By Order,

RAM SINGH,
Principal Secretary.